अपना मतदान स्थान जान

आपके मतदान स्थान की स्थिति चुनावों के बीच बदल सकती है। अपने मतदान स्थल की स्थिति के लिए अपनी काउंटी मतदाता सूचना गाइड के पीछे देखें। आप अपनी काउंटी के चुनाव कार्यालय या (888) 345-2692 पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कार्यालय की मतदाता हॉटलाइन पर कॉल करके भी अपना मतदान स्थल जान सकते हैं या https://voterstatus.sos.ca.gov पर जाएं या 'Vote' लिख कर 'govote' पर संदेश भेजें।

चुनाव परिणाम

क्या आप चुनाव परिणामों के आने पर इन्हें तुरंत देखना चाहते हैं? पूरे राज्य में हो रहे चुनावों के दौरान vote.sos.ca.gov पर या Twitter पर @CASOSvote को फॉलो करते हुए नवीनतम मतदान परिणाम प्राप्त करें। ऑनलाइन https://goo.gl/BB7zb4 पर ई-अपडेट के लिए साइन-अप करें

10 भाषाओं में मतदाता सूचना

www.sos.ca.gov/elections/voting-california पर जाएं या नीचे दिए गए टोल फ्री मतदाता हॉटलाइन नंबरों में से किसी एक पर कॉल करें।

मतदाता हॉटलाइनें	
English	(800) 345-VOTE (8683)
Español / Spanish	(800) 232-VOTA (8682)
中文 / Chinese	(800) 339-2857
हिंदी / Hindi	(888) 345-2692
日本語 / Japanese	(800) 339-2865
ខ្មែរ / Khmer	(888) 345-4917
한국어 / Korean	(866) 575-1558
Tagalog	(800) 339-2957
ไทย / Thai	(855) 345-3933
Việt ngữ / Vietnamese	(800) 339-8163
TTY / TDD	(800) 833-8683

californiasos

casosvote

californiasos_

californiasos

5 जून
राज्यव्यापी प्रत्यक्ष प्राथमिक चुनाव

6 नवंबर
आम चुनाव

चुनाव वाले दिन मतदान **सुबह 7 बजे से रात 8 बजे** तक खुला रहेगा

मतदान कैलिफोर्निया
www.sos.ca.gov

California Secretary of State Alex Padilla
(888) 345-2692

मतदान करने के लिए पंजीकरण कराएं

कैलिफोर्निया में मतदान करने के लिए पंजीकरण करवाने के लिए ज़रूरी है कि:

आप एक अमेरिकी नागरिक और कैलिफ़ोर्निया के/की निवासी हों;

चुनाव के दिन आपकी उम्र 18 वर्ष या अधिक हो;

आप किसी गंभीर अपराध का दोष सिद्ध होने पर वर्तमान में जेल में या पैरोल पर न हों; और

आपको वर्तमान में किसी अदालत द्वारा मतदान करने के लिए मानसिक रूप से अक्षम नहीं पाया गया हो।

आप www.RegisterToVote.ca.gov पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या आपको डाकघरों, लाइब्रेरियों और कुछ सरकारी कार्यालयों में आवेदनपत्र मिल सकता है। ज़्यादातर मामलों में, आपको किसी चुनाव में मतदान करने का पात्र बनने के लिए उसके चुनाव के दिन से कम से कम 15 दिन पहले पंजीकरण अवश्य कराना चाहिए।

यदि आप पंजीकरण की अंतिम तारीख को चूक गए हैं, तो आप सशर्त मतदान करने के लिए पंजीकरण करा सकते हैं और मतदान कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने काउंटी चुनाव अधिकारी से संपर्क करें। अगर आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, या अपना नाम या राजनीतिक दल की पसंद बदल देते हैं, तो आपको मतदान करने के लिए फिर से पंजीकरण अवश्य कराना चाहिए।

पूर्व-पंजीकरण

कैलिफ़ोर्निया में मतदान करने के लिए पूर्व-पंजीकरण करवाने के लिए ज़रूरी कि:

- आपकी उम्र 16 या 17 वर्ष की हो, और
- आप मतदान करने की अन्य सभी पात्रता ज़रूरतें पूरी करते हों।

आपके 18वें जन्मदिन पर आप अपने-आप ही मतदान करने के लिए पंजीकृत हो जाएंगे।

डाक द्वारा मतदान करें

कैलिफोर्निया में कोई भी पंजीकृत मतदाता डाक द्वारा मतदान कर सकता है। अपनी मतदाता सूचना गाइड में डाक-द्वारा-मतदान मतपत्र आवेदन भरें, इसे www.sos.ca.gov से लें, या अपनी काउंटी के चुनाव कार्यालय से संपर्क करें। आपका भरा हुआ आवेदनपत्र चुनाव के दिन से कम से कम सात दिन पहले आपकी काउंटी के चुनाव कार्यालय में अवश्य पहुँच जाना चाहिए।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपका मतपत्र तय समय-सीमा तक पहुँच जाए, आपके मतदान किए गए मतपत्र पर चुनाव के दिन या उससे पहले डाक की मुहर ज़रूर लग जानी चाहिए और यह आपके काउंटी चुनाव कार्यालय को चुनाव के दिन के बाद तीन दिनों के अंदर प्राप्त हो जाना चाहिए।

माडेरा, नापा, नेवाडा, सैक्रामेंटो और सैन माटेओ काउंटियों में सभी पंजीकृत मतदाताओं को किसी चुनाव से 28 दिन पहले डाक द्वारा भेजे गए मतपत्र प्राप्त होंगे। इन पांच काउंटियों में मतदाता अब तय कर सकते हैं कि क्या वे अपने मतपत्र चुनाव के दिन से 10 दिन पहले तक अपनी काउंटी में किसी भी मतदान केंद्र पर, डाक द्वारा, या किसी सुरक्षित मतपत्र डालने वाले स्थान पर डालना चाहेंगे। अधिक जानकारी के लिए, कृपया अपनी काउंटी के चुनाव कार्यालय से संपर्क करें या ऑनलाइन www.sos.ca.gov/elections/voters-choice-act पर जाएं।

अनंतिम (प्रोविजनल) मतदान

भले ही आपका नाम मतदान स्थान में मतदाता सूची में न हो, फिर भी आपके पास उस काउंटी में अनंतिम मतपत्र के साथ मतदान करने का अधिकार है जिसमें आप मतदान करने के लिए पंजीकृत हैं। आपके अनंतिम मतपत्र को चुनाव अधिकारी द्वारा यह पुष्टि करने के बाद ही गिना जाएगा कि आप पंजीकृत मतदाता हैं और आपने उस चुनाव में पहले ही मतदान नहीं कर दिया है। चुनाव कर्मचारी आपको जानकारी दे सकता है कि यह कैसे पता करना है कि क्या आपके अनंतिम मतदान को गिना गया था, और यदि इसे नहीं गिना गया था तो उसका क्या कारण था। अपनी मतदाता की स्थिति पर अधिक जानकारी के लिए, https://voterstatus.sos.ca.gov पर जाएं।

मतपत्र संबंधी सूचना

पंजीकृत मतदाताओं को चुनाव के दिन से कुछ सप्ताह पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से आधिकारिक मतदाता सूचना गाइड (Official Voter Information Guide) डाक से प्राप्त होती है। काउंटी चुनाव कार्यालय मतदाताओं को काउंटी मतदाता सूचना गाइड डाक द्वारा भेजते हैं। इन किसी भी दल से संबंध न रखने वाली गाइडों में मतपत्रों के उपायों, उम्मीदवारों, मतदान करने के अधिकारों और अन्य बातों के बारे में जानकारी शामिल होती है।

5 जून | राज्यव्यापी प्रत्यक्ष प्राथमिक चुनाव

मतदान के लिए पंजीकरण इस तारीख तक कराएं	**21 मई**
सशर्त मतदाता पंजीकरण	**22 मई - 5 जून**
डाक द्वारा मतदान करने के मतपत्र का अनुरोध इस तारीख तक करें	**29 मई**
डाक द्वारा मतदान मतपत्र वापिस करें (इस तारीख तक डाक की मुहर लग जानी चाहिए)	**5 जून**

6 नवंबर | आम चुनाव

म्मतदान के लिए पंजीकरण इस तारीख तक कराएं	**22 अक्तूबर**
सशर्त मतदाता पंजीकरण	**23 अक्तूबर - 6 नवंबर**
डाक द्वारा मतदान करने के मतपत्र का अनुरोध इस तारीख तक करें	**30 अक्तूबर**
डाक द्वारा मतदान मतपत्र वापिस करें (इस तारीख तक डाक की मुहर लग जानी चाहिए)	**6 नवंबर**

अपना मतदान स्थल जानने के लिए

★ ★ ★ ★ ★

***VOTE* लिख कर**

GOVOTE

पर संदेश भेजें

RegisterToVote.ca.gov